वित्तीय दिशा निर्देश

1. **कार्यक्रम का नाम** – आशा

2. **बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक के आधार पर)**
   – Replenishment of Asha Drug Kit

3. **बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक के आधार पर)**
   – Part-B – 1.1.2B

5. **कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)**
   – आशा कार्यकर्ता गाँव में स्वास्थ्य सलाहकार के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा में डिपो होल्डर के रुप में कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में आशाओं को समुदाय स्तर प्रथम दृष्टया चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु आशा ड्रग किट उपलब्ध कराया गया है। जिसका Replenishment इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है।

List of Medicines for ASHAs Drugs kit Replenishment

क्र० सं०	दवा का नाम	एक आशा किट में दवा की मात्रा
1	Tab. Iron Folic Acid (Large) – Tab. Containing at least – 100 mg of elemental iron & 0.5 mg of folic acid.	1000
2	Tab. Punarvadu Mandur (ISM, Preparation of Iron)	1000
3	ORS Packets – as per WHO specification	100
4	Tab. Paracetamol – Tab.- 500 mg per Tab.	100
5	Tab. Dicyclomine – HCL Tab. – 10 mg	50
6	Povidine Iodine Tube – 5 % ointment – 15 gm tube.	2
7	Cotton Absorbent Roll (1 b)	1
8	Bandages, 4cm x 4 meters	10
9	Tab. Chloroquine	50
10	Condoms*	500
11	Oral Pills*	300
12	Thermometer- Mercury (Hicks)	1
13	Zinc Sulphate (Dispersible) 10mg	200
14	Zince Sulphate (Dispersible) 20mg	200

* भारत सरकार के मार्ग दर्शिका के अनुसार उक्त दवाये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर Social Marketing के तहत उपलब्ध है, जिन्हे आशा ड्रग किट में Replenish किया जाना हैं।

उपरोक्त दवाओं का Replenishment दवाओं के खर्च के अनुसार एवं आशा के मांगे जाने पर @ 300 रुपये प्रति आशा किया जाना है।

SKumar Vasudha Gupta 20/7/12

5. इकाई राशि

– Drug Kit (Replenishment) @ 300per ASHA.

7. **वित्तीय दिशा निर्देश**

– वित्तीय वर्ष 2012–13 मे @300 रु0 की दर से प्रति आशा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

– उपरोक्त वर्णित दवाओं का क्रय राज्य स्तर से किये गये Rate Contract के अनुसार जिला द्वारा किया जाना है।

–आशा ड्रग किट में सभी दवाईयों का Replenishment जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा प्रखण्डों में भेजे जानेवाले दवाईयों से ही किया जायेगा। क्योंकि इन सभी दवाओं का दर निर्धारित कर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिलों को प्रेषित किया गया है।

–उक्त दवायें प्रखण्डों के दवा भण्डार में नहीं है तो संबंधित दवा के लिये भंडारपाल के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा, राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्धारित दर पर आशाओं को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जायेगा। **आशाओं को दवाईयों की आपूर्ति की जबाबदेही संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की होगी।**

– दवाओं को वर्णित मात्रा के अनुरुप क्रय किये जाने में अगर राशि 300 रु0 से ज्यादा होती है, वैसी स्थिति में सामान्य दवाओं के क्रय हेतु राज्य स्तर से (FMR Code B 16.2.5) उपलब्ध करायी गयी राशि से खर्च किया जा सकता है।

– सभी दवाओं का क्रय और आशा के स्तर पर वितरण वित्तीय वर्ष 2012–13 के द्वितीय त्रैमासिक में ही किया जाना है।

Note: अगर आशा द्वारा Thermometer की मांग की जाती है वैसी स्थिति Thermometer का क्रय किया जा सकता है।

10. **इस संदर्भ में यदि कोइ पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)**
SHSB/PM/ASHA/13/2009/PART-II/28125 Dated 06.07.2011
SHSB/PM/ASHA/13/2009/PART-II/2106 Dated 05.03.2012
SHSB/PM/ASHA/13/2009/PART-II/2707 Dated 27.03.2012

11. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी**
– वसुधा गुप्ता, टीम लीडर, ए०आर० सी०

12. **संबंधित कार्यक्रम अधिकारी**
– 9473199393 / 0612 – 2284666

SKumar Vasudha Gupta 20/7/12